

बि. उ. 2017

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

आदेश नम्बर हुन्द ननिनगरा का. वि. विभाग
राजस्थान, जयपुर
1-प्रमाण प्रथम/ए 756
2-पत्र प्राप्त दिनांक 28/09/21
3-दिनांक 28/09/21
4-समाप्ति दि.
जयपुर दिनांक 27 SEP 2021

क्रमांक प. 2(21)संवि. 17(RK-00094)

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत श्री हीरालाल वर्मा (अनुजाति), अधीक्षण अभियंता के प्रकरण में गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिराम पर निम्नांकित अधीक्षण अभियंता को इनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की रिक्ति से दरिदता सह योग्यता के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

रिव्यू वर्ष 2017-18

क्रमांक	नाम	रिक्ति की दिनांक
1	श्री एफ.एस. आसाजिया (एस.सी.)	01.04.2017
2	श्री हीरालाल वर्मा (अनुजाति)	01.04.2017
3	श्री घेवर चन्द पवार (एस.सी.)	01.04.2017
4	श्री कर्णी दाम चारण	01.05.2017
5	श्री राजेश चन्द महता	01.08.2017
6	श्री महन्द्र कुमार गुप्ता	01.08.2017
7	श्री चंचल माथुर	01.09.2017
8	श्री अनिल नेपालिया	01.10.2017
9	श्री सुनील कुमार गुप्ता	01.10.2017
10	श्री लोकेश कुमार विजवर्गीय	01.10.2017
11	श्री संजीव माथुर	01.11.2017

श्री एस.एस. गंगवार को सीसीए नियम 16 के तहत तीन आरोप पत्र दिनांक 30.08.17 को प्रसारित किये जाने के कारण इनका चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया है।

रिव्यू वर्ष 2018-19

क्रमांक	नाम	रिक्ति की दिनांक
1	श्री उत्तम कुमार (एसटी)	01.04.2018
2	श्री वी.एम. लकवाल (अनुजाति)	01.04.2018
3	श्री एस.पी. शर्मा	01.04.2018
4	श्री एन. के. माथुर	01.05.2018
5	श्री राजेश्वर राज माथुर	01.05.2018
6	श्री राकेश चन्द माथुर	08.05.2018
7	श्री अमित कर्कण्ड (विद्युत)	01.07.2018
8	श्री रादीप माथुर	01.08.2018
9	श्री सुबोध कुमार मलिक	01.10.2018
10	श्री राकेश भण्डारी	01.10.2018

Am

दिनांक 2019-20

क्रमांक	नाम	रिजिट की दिनांक
1	श्री मांगे लाल भीष्म (अनुसूचित जाति)	01.04.2019
2	श्री सुंदर राम मेघवाल (एससी)	01.04.2019
3	श्री सुरेश कुमार वैरवा (अनु जाति)	01.04.2019
4	श्री बाबूलाल वैरवा (अनु जाति)	01.04.2019
5	श्री लाल चन्द गुप्ता	01.04.2019
6	श्री सुनील जगसिंह	01.04.2019
7	श्री मुकेश चन्द यादव	01.04.2019
8	श्री सुधीर माथुर	01.04.2019
9	श्री राजेश मार्गव	01.05.2019
10	श्री सुनील राजसैना	01.06.2019
11	श्री विनोद कुमार सिंह	01.07.2019
12	श्री सुधीर गर्ग	01.07.2019
13	श्री राजेश राजसैना	01.07.2019
14	श्री अविनाश शर्मा	01.10.2019
15	श्री विनयस दीक्षित	01.01.2020

श्री अशोक कुमार जैन को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 18.02.2020 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असावधी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इन्हें फर्जीनाते हेतु योग्य नहीं माना गया ।

आज्ञा से,

(ब्रिजेन्द्र सिंह परमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर ।
7. संबंधित अधिकारीगण ।
8. रक्षित पत्रावली ।


(सज्जन कुमार)
अनुभागाधिकारी
P.T.O

संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक: प0 1 (21)सानि/ 17/(आरके-00094) दिनांक 27.09.2021 की प्रति वास्ते अधीक्षण अभियन्ता से अति0 मुख्य अभियन्ता के पद पर रिब्यू पदोन्नति वर्ष 2017-18 से 2019-20 के सम्बंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प0 7-2549(एसीई)/अनु0प्रथम/ए/2021/प्रे0-756 दिनांक: 28.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सानिवि राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर ।
3. अति0 मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., संभाग, समस्त ।
4. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव/व0निजी सहायक मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई./क्यू.सी./एन.एच./भवन/विद्युत/वित्तीय सलाहकार /मुख्य वास्तुविद/अति0 मुख्य अभियन्ता (पीपीपी)/तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियन्ता (जांच) अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)/संयुक्त विधि परामर्शी ।
5. सम्बंधित अधिकारी ।
6. निजी /रक्षक पत्रावली


(आरिफ मोहम्मद खान)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर